रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

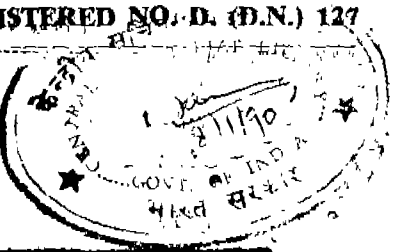

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 508] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 1989/भाद्र 31, 1911
No. 508] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 1989/BHADRA 31, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1989

सा. का. नि. 852 (अ):— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय आर्थिक सेवा (संशोधन) नियम, 1989 है।

(ii) ये 27 नवम्बर, 1972 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 1961 में नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"13. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए आरक्षण सेवा में नियुक्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अधीन रहते हुए की जाएगी।"

टिप्पण :— मूल नियम, अधिसूचना सं. 8/4/61-स्था (ध) तारीख 1-11-61, सा. का. नि. सं. 1321 तारीख 1-11-61 द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे उनका संशोधन निम्नलिखित द्वारा किया गया :—

क्रम सं.	सा. का. नि. सं.	तारीख
1.	2	3
1.	146	12-2-64
2.	185	27-2-65
3.	1952	24-12-66
4.	1995	31-12-66
5.	476	8-4-67
6.	1639	4-11-67

1	2	3
7.	1272	5-9-70
8.	1701	26-9-70
9.	1777	17-10-70
10.	175	12-2-72
11.	196	19-2-72
12.	201(ई)	19-4-73
13.	455	5-5-73
14.	693	7-7-73
15.	1088	6-10-73
16.	1155	27-10-73
17	689	6-7-74
18.	479	19-4-75
19.	1394	2-10-76
20.	747	15-8-81
21.	107(ब)	23-2-87

स्पष्टीकारक ज्ञापन

भारतीय आर्थिक सेवा 1-11-61 को गठित की गई थी और भारतीय आर्थिक सेवा नियम 1961 भी उसी तारीख को अधिसूचित कर दिए गए थे उक्त नियमों का नियम 13 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों को छोड़कर आरक्षण का उपबन्ध करता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय सरकार की नीति के अनुसार प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का उपबन्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु उक्त नियमों का नियम 15 यह उपबन्ध करता है, उन विषयों के बारे में, जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा की शर्तें नहीं होंगी जो केन्द्रीय सेवाओं के वर्ग 1 के अधिकारियों को समय-समय पर लागू होंगी। प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कार्मिक विभाग द्वारा 1972 में विहित किया गया था, जो समाज के पिछड़े वर्गों के संरक्षण के बारे में संविधान के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र प्राधिकारी है। जून 1973 के अवयन आधार पर भारतीय आर्थिक सेवा की श्रेणी IV से श्रेणी III में की गई प्रोन्नतियों में अनुदेशों को प्रभावी बनाया गया है। ऐसा करने से पूर्व उक्त नियमों के नियम 13 का औपचारिक रूप से संशोधन विनिर्दिष्ट रूप से यह करने के लिए नहीं किया गया था कि आरक्षण प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को भी लागू होगा। किन्तु कार्मिक प्राधिकारियों अर्थात कार्मिक विभाग और आर्थिक कार्य विभाग द्वारा की गई कार्रवाई अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में सरकार की स्वीकृत नीति के अनुरूप थी। सेवा की यह शर्त अर्थात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण उक्त विनियमों के नियम 15 में विनिर्दिष्ट अन्य केन्द्रीय सेवाओं के वर्ग-1 को लागू थी। यह देखा गया है कि कानूनी नियमों में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अभाव का अभिप्राय है कि सरकार की घोषित नीति के होते हुए भी प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, आरक्षणों के बारे में उपबन्धों के कार्यान्वयन में कठिनाई हो सकती है और ऐसी कार्रवाई का न्यायालय में परिवाद किया जा सकता है। 1973 से लेकर और 1987 के अन्त तक आरक्षण आदेशों को लागू करने वाली प्रोन्नतियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 54 अधिकारियों के बारे में श्रेणी IV से श्रेणी III में की गई और ऐसी रिक्तियां जिनके लिए ऐसे अधिकारी उपलब्ध नहीं थे। उन्हें अग्रनीत किया गया। किसी कानूनी आरक्षण के अभाव में की गई प्रोन्नतियों को ही नहीं बल्कि आरक्षित रिक्तियों के अग्रनीत करने को भी जोखिम में डालेगा। इस का परिणाम सरकार के घोषित उद्देश्यों का ही अकार्यान्वयन नहीं होगा अपितु सेवा में इन समुदायों के अधिकारियों की वास्तविक संख्या पर भी प्रबल रूप से प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आरक्षण नीति को व्यावहारिक रूप से लागू किया गया है इस लिए आरक्षित प्रवर्ग का कोई भी अधिकारी उन रिक्तियों के लिए वास्तव में नियुक्त नहीं किया गया है जिन पर अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अधिकारी तैनात किए जाने चाहिए। नियमों का भूतलक्षी संशोधन प्रोन्नत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को प्रोन्नति के फायदों का उपभोग करते रहने के लिए समर्थ बनाएगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि अग्रनीत आरक्षित रिक्तियां भविष्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों द्वारा विधितः भरी जाए। इस विस्तार तक यह दलील दी जा सकती है कि पहले की गई प्रोन्नतियों को नियम के विनिर्दिष्ट उपबन्धों का समर्थन प्राप्त नहीं है, साधारण प्रवर्ग के अधिकारियों को पहले प्रोन्नति नहीं दी गई है और भूतलक्षी संशोधन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में सरकार की नीति को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो गया है जैसा कि संविधान द्वारा सरकार को आदिष्ट है। किन्तु भूतलक्षी संशोधन का प्रभाव यह नहीं होगा कि साधारण प्रवर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा वास्तव में उठाए जा रहे प्रोन्नति के किसी फायदे को वापस ले लिया जाए।

[11016/2/89 भा. आ. से.]

राजीव शर्मा, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 1989

G.S.R. 852(E).—in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Economic Service Rules, 1961, namely:—

1. (i) These rules may be called the Indian Economic Service (Amendment) Rules, 1989.

(ii) They shall be deemed to have come into force on 27th November, 1972.

2. In the Indian Economic Service Rules, 1961 for Rule 13, the following rule shall be substituted, namely:—

"13. Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, etc.—Appointment to the Service shall be made subject to the orders relating to reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes issued by the Central Government from time to time".

NOTE : Principal Rules published vide Notification No. 8/4/61-Estt(D) dated 1-11-61 GSR No. 1321 dated 1-11-1961 Gazette of India in Part II, Section 3, Sub-Section (i) were amended vide:

Sl. No.	GSR No.	Date
1.	246	12-02-64
2.	285	27-02-65
3.	1952	24-12-66
4.	1995	31-12-66
5.	476	08-04-67
6.	1639	04-11-67
7.	1272	05-09-70
8.	1701	26-09-70
9.	1777	17-10-70
10.	175	12-02-72
11.	195	19-02-72
12.	201(E)	19-04-73
13.	455	05-05-73
14.	693	07-07-73
15.	1088	06-10-73
16.	1155	27-10-73
17.	689	06-07-74
18.	479	19-04-75
19.	1394	02-10-76
20.	747	15-08-81
21.	107(E)	23-02-87

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Indian Economic Service was constituted on 1-11-61 and Indian Economic Service Rules, 1961 were also notified on the same date. Rule 13 of the said Rules provides for reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes being made except in respect of posts filled by promotion. This is because at that time in terms of Government's policy, there was no requirement of providing reservation for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes in vacancies filled by promotion. Rule 15 of the said Rules however provide them in respect of matters for which no provision is made in the Rules, the conditions of service will be the same as are applicable from time to time to officers of Central Services, Class I. Reservations in vacancies filled by promotion for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was prescribed by the Department of Personnel, nodal authority for implementing the provisions of the Constitution regarding protection of backward sections of the society, in 1972. The instructions have been given effect to in the promotions from Gr. IV to Gr. III of Indian Economic Service made on non-selection basis since June, 1973. Before doing so, Rule 13 of the said Rules were not formally amended to specifically bring out that reservation will be applicable for vacancies filled by promotion also. The action taken by the Cadre authorities viz. the Department of Personnel and Department of Economic Affairs was, however, in conformity with the accepted Government policy regarding reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This condition of service viz. reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, was applicable to other central services, Class I referred to in Rule 15 of the said Rules. It is seen that the absence of specific provisions in the Statutory Rules means that notwithstanding Government's declared policy, there can be difficulties in implementing the provisions regarding reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in vacancies

filled by promotion and such action can be contested in Courts of law. Since 1973 and upto the end of 1987 promotions applying reservation orders have been made from Gr. IV to Gr. III in respect of 54 Scheduled Castes/Scheduled Tribes officers and the vacancies for which such officers were not available have been carried forward. The absence of a statutory cover will jeopardise not only the promotions made but also the carrying forward of the reserved vacancies. This will result not only in non-implementation of the Government's declared objectives but also drastically affect the effective strength of officers belonging to these communities in Service. As the reservation policy has in practice been applied, no officer belonging to the general category has in fact been appointed to vacancies to which Scheduled Castes/Scheduled Tribes officers should have been posted. Restrospective amendment of the Rules will enable the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes officers promoted to continue to enjoy the benefits of the promotion and also ensure that the reserved vacancies carried forward are validly filled by candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes in future. To the extent that it could be argued that the promotions made in the past did not have the backing of the specific provisions in the Rule, the officers belonging to the general category have been denied promotion in the past and the retrospective amendment will confirm the position. The retrospective amendment has, therefore, become necessary to give effect to the Government's policy on reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes as enjoined on the Government by the Constitution. The retrospective amendment, however, will not have the effect of withdrawing any benefit of promotion actually enjoyed by any person belonging to the general category.

[No. 11016/2/89-IES]

RAJIV SHARMA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989